-15-

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3476/2021 अर्चना गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2021 मे अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वह वर्तमान मे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नागर, राजाखेडा, जिला–धौलपुर में वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद पर कार्यरत है। याचिकार्थिया के कथनानुसार उसकी नियुक्ति विधवा कोटे से हुई है। याचिकार्थिया का इकलौता पुत्र कक्षा–12 में है, जो जयपुर में अध्ययनरत है तथा उसका गृह जिला जयपुर होने व पुत्र की देखभाल करने के कारण याचिकार्थिया ने अपने स्थानान्तरण के लिए ऑनलाईन आवेदन दिनांक 05.10.2020 तथा दिनांक 21.07.2021 को किया था, परन्तु उसका स्थानान्तरण नही हुआ। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर धौलपुर जिले (भरतपुर मण्डल) से मूल निवास जयपुर जिले (जयपुर मण्डल) में राउमावि लालचदपुरा, महात्मा गांधी राउमावि नवीन विद्याधर नगर, राउमावि सुदर्शनपुरा, रामावि बगुलाई व रामावि अभयपुरा, जिला–जयपुर में पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी सबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल कैडर का होने के कारण मण्डल परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का मण्डल स्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। वरिष्ठ अध्यापक के पद मण्डल में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार/मण्डलवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को मण्डलवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य मण्डल मे स्थानान्तरण कर मण्डल परिवर्तन किये जाने से मण्डल में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष मे स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते है। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में अपनी शारीरिक व पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर मण्डल स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/13125/2021 दिनांकः– 24/01/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर सभाग, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर
4. रिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
6. याचिकार्थिया अर्चना गुप्ता, व.अ. (सामाजिक विज्ञान), राउमावि नागर, राजाखेड़ा, जिला–धौलपुर (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)